

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर ।

क्रमांक एफ / प.2 / मु० / अलोसूअ / सचिव / 2016 /

दिनांक:

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ / प.1 / मु० / अलोसूअ / सचिव / 2009 / 46 दिनांक 07.12.2009 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये थे, के बिन्दु संख्या 11 एवं 12 में आंशिक संशोधन करते हुये सम्पत्ति शाखा एवं विज्ञापन से सम्बन्धित सूचनाओं के लिये लोक सूचना अधिकारी कार्यकारी प्रबन्धक (सम्पत्ति) एवं कार्यकारी प्रबन्धक (विज्ञापन) के स्थान पर श्री यशपाल जैन, सहायव लेखाधिकारी (ग्रेड-ग) को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

शेष लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी यथावत रहेंगे ।


(राजेश यादव)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक एफ / प.2 / मु० / अलोसूअ / सचिव / 2016 / 23 दिनांक: १५.०३.२०१८
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव—गृह(ग्रुप-6) राजस्थान सरकार जयपुर ।
3. शासन सचिव(परिवहन) राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. आयुक्त राजस्थान सूचना आयोग, ओटीएस के पीछे, झालाना लिंक रोड, राजस्थान सरकार जयपुर ।
5. आयुक्त एवं शासन सचिव परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
7. निजी सचिव अध्यक्ष रापनिगम मुख्यालय जयपुर ।
8. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक रापनिगम मुख्यालय जयपुर ।
9. कार्यकारी निदेशक(प्रशासन), रापनिगम, मुख्यालय जयपुर ।
10. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रापनिगम मुख्यालय जयपुर ।
11. कार्यकारी निदेशक(याता/यांत्रिक/विधि) मुख्यालय जयपुर ।
12. महा प्रबन्धक(याता/क्य भंडार/टायर/गुणवत्ता/बस बॉडी/दुर्घटना/प्रशिक्षण) रापनिगम मुख्यालय जयपुर ।
13. उप महा प्रबन्धक(प्रशासन) मु.जयपुर
14. सचिव निगम, रापनिगम मुख्यालय जयपुर ।
15. कार्यकारी प्रबन्धक() मुख्यालय जयपुर ।
16. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक, रापनिगम...../ केयर टेकर जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें एवं बोर्ड पर लिखवावें ।
17. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.) मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को निगम की वेबसाइट पर डालकर इस कार्यालय को सूचित करें ।
18. आदेश पत्रावली ।


(डॉ. प्रतिभा सिंह)
कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)